न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 28 / 2019 दायरा दिनांक :13.05.2019

उनवान

1– उंकार आयु 59 वर्ष आत्मज श्री प्यार जी

2– मदनलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री प्यार जी

जाति गूर्जर, निवासीगण सिरपोई गूजरान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांटगण

बनाम

1– श्री किशन आत्मज श्री रामनारायण जी जाति कुलमी, निवासी औसाव, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2– दरयाव बाई पुत्री प्यार जी, जाति गूर्जर, निवासी सिरपोई गूजरान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

3– चैना उर्फ चैन सिंह आत्मज श्री गिरधारी मृतक जरये कायम मुकामान

3/1– मांगीलाल | पिसरान चैना उर्फ चैन सिंह

3/2– नारायण सिंह | निवासीगण सिरपोई गूजरान, तहसील

3/3– सजन बाई | पिडावा, जिला झालावाड़

4– शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 बी0 जे0 शाखा सुनेल, तहसील पिडावा

5– शाखा प्रबन्धक जे0 के0 एस0 बी0 शाखा सुनेल, तहसील पिडावा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

4— शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 बी0 जे0 शाखा सुनेल, तहसील पिडावा

5— शाखा प्रबन्धक जे0 के0 एस0 बी0 शाखा सुनेल, तहसील पिडावा

6— राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — अभिभाषक श्री बृजबिहारी गोचर रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या — राजस्व वाद / 134 / 2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम सिरपोई गूजरान, तहसील पिडावा आराजी खसरा नम्बर 293 / 681 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा आराजी स्थित है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 के वाद को केम्प में रखकर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में चल रही थी, इसी दौरान अपीलांट को बिना सूचना दिये ही पत्रावली राजस्व केम्प में रख

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दी गई और केम्प में ही बिना अपीलांट को सुने ही रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह दावा बेचान के आधार पर डिक्री किया है जबकि बेचाननामा न्यायालय में प्रदर्श भी नहीं करवाया गया है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट को बेचान करना कहा गया है कि वह आराजी अपीलांट के कब्जे खाते की आराजी है इस आराजी को अपीलांट ने किसी को भी बेचान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने जो दावा पेश किया था, उसमें प्रतिवादी नम्बर 4 चैना उर्फ चैन सिंह भी है तथा इसकी मृत्यु को हो चुकी है जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट नम्बर 1 को थी, किन्तु रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने उक्त वाद में चैनसिंह के कायम मुकामान को पक्षकार नहीं बनाया है और पक्षकार बनाये बिना ही वाद में निर्णय हो चुका है वैसे तो कायम मुकामान नहीं बनने के कारण पूरा वाद ही अबेट हो चुका था लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए, जो निर्णय पारित किया है वह कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2018 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.04.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । अपीलांट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक रेस्पोडेंट सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने जो दावा पेश किया था, उसमें प्रतिवादी नम्बर 4 चैना उर्फ चैन सिंह भी है तथा इसकी मृत्यु को हो चुकी है जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट नम्बर 1 को थी, किन्तु रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने उक्त वाद में चैनसिंह के कायम मुकामान को पक्षकार नहीं बनाया है और पक्षकार बनाये बिना ही वाद में निर्णय पारित करवाया है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– उंकार आयु 59 वर्ष आत्मज श्री प्यार जी
2– मदनलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री प्यार जी जाति गूर्जर, निवासीगण सिरपोई गूजरान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

..........**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– श्री किशन आत्मज श्री रामनारायण जी जाति कुलमी, निवासी औसाव, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
2– दरयाव बाई पुत्री प्यार जी, जाति गूर्जर, निवासी सिरपोई गूजरान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
3– चैना उर्फ चैन सिंह आत्मज श्री गिरधारी मृतक जरयें कायम मुकामान
3/1– मांगीलाल। पिसरान चैना उर्फ चैन सिंह
3/2– नारायण सिंह । निवासीगण सिरपोई गूजरान, तहसील
3/3– सजन बाई। पिडावा, जिला झालावाड़
4– शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 बी0 जे0 शाखा सुनेल, तहसील पिडावा
5– शाखा प्रबन्धक जे0 के0 एस0 बी0 शाखा सुनेल, तहसील पिडावा
6– राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 28/2019 एवं
मु.द.नं0 राजस्व वाद/134/2014

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **23.06.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **19** माह **07** सन् **2022**

हाजरी **श्री बृजबिहारी गोचर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

वाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **25** माह **07** सन् **2022** को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)